"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59-ब] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2006—माघ 21, शक 1927

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक 122/एफ-2 (4) 05/48/सं. का.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये जायेंगे जो उसे अकेले या उसके साथ चल रहे किसी एक व्यक्ति को भारत वर्ष के भीतर रेल द्वारा नि:शुल्क रुपये 60,000.00 (रुपये साठ हजार) केवल मूल्य के बराबर एक वित्तीय वर्ष में यात्रा का हकदार बनायेंगे.

परन्तु किसी सदस्य द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-क (2) के अधीन रेल द्वारा एवं वायुयान द्वारा एक वित्तीय वर्ष में की गई तीन बार जाने-आने की यात्राओं पर किया गया कुल व्यय रुपये 60,000.00 (रुपये साठ हजार) से अधिक नहीं होगा."

2. नियम 7 के प्रमाण-पत्र में शब्द एवं अंक "रुपये 40,000.00 (रुपये चालीस हजार)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रुपये 60,000.00 (रुपये साठ हजार)" स्थापित किये जायें.

3. यह संशोधन 15 फरवरी, 2005 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक 123/एफ-2 (4) 05/48/सं. का.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 10th February 2006

NOTIFICATION

No. 122/F-2 (4) 05/48/P.A.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members (Free Transit by Railway) Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For the rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"Every person entitled for pension under section 6-A shall be provided by Secretary with sets of coupon books, which shall entitle him and any person accompanying him to travel with in India by Rail Value upto to 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand) in a financial year.

Provided that total expenditure on a journey performed by a ex-member by rail and three journey performed by air under Section 5-A (2) in the said act shall not exceed the amount of Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand) in a financial year".

2. In certificate of Rule-7 for the words and figure "Rupees 40,000.00 (Rs. Forty Thousand)" words and figure "Rupees 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand)" shall be substituted.

3. These amendment shall be deemed to have come into force with effect from 15th February, 2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

[illegible], [illegible] [illegible] लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.